

प्रपत्र छः(नियम 6 का उपनियम 6 देखिये)
भू- विकास परमिट के प्रारम्भिक अनुमोदन का प्रपत्र

प्रेषक,

नियत प्राधिकारी,
विनियमित क्षेत्र,
शाहजहाँपुर।

सेवा में,

कुंज श्री इन्फ्रा बिल्ड एल0एल0पी0
द्वारा पार्टनर-श्री हरगोविन्द मोदी
पुत्र श्री रामस्वरूप मोदी
नि0मो0 रोशनगंज, शाहजहाँपुर।

महोदय,

तहसील सदर, जनपद शाहजहाँपुर के लालपुर परगना जमौर तहसील सदर, जनपद शाहजहाँपुर के गाटा सं0 218 पी0/0.121 हे0 में से 0.071 हे0, गाटा सं0 219पी/0.275हे0 में से 0.1375हे0, गाटा सं0 220/0.020 हे0, गाटा सं0 221पी/0.028 हे0 में से 0.014 हे0, गाटा सं0 221पी/0.028 हे0 में से 0.014 हे0, गाटा सं0 209पी/0.231121 हे0, गाटा सं0 222/0.057हे0 व गाटा सं0 217पी/0.4274हे0(कुल रकवा 0.972021 हे0) अर्थात् 9720.21 वर्गमीटरभू-क्षेत्र पर आवासीय प्रयोजन से भूमि के उपविभाजन एवं विकास कार्य की अनुज्ञा हेतु आपके मानचित्र आवेदन सं0 115/2023-24 दिनांक 23-08-2023 के साथ संलग्न विन्यास मानचित्र को निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1- यह अनुमति स्वीकृति के दिनांक से पाँच वर्ष की अवधि के लिये वैध है। इस अवधि के अन्दर प्रस्तावित कालोनी के अन्दर प्राविधानित सभी विकास कार्यों को पूर्ण कराना होगा एवं विकास कार्य प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप डः पर प्रस्तुत करनी होगी।

2- स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप ही स्थल पर विकास एवं निर्माण कार्य अनुमन्य होगा। स्वीकृति के विपरीत किसी भी प्रकार का विकास एवं निर्माण अनुमन्य नहीं है। स्वीकृति के विपरीत विकास एवं निर्माण कार्य करने पर यह स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

3- यदि किसी भी समय यह पाया गया कि यह स्वीकृति आपने किसी तथ्य को छुपाकर, कपटपूर्ण तरीके से प्राप्त कर ली है, तो इस स्वीकृति को आर0बी0ओ0एक्ट 1958 की धारा-7 ए के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, निरस्त किया जा सकेगा।

4- विन्यास मानचित्र, जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है, केवल वही प्रयोग अनुमन्य होगा।

5- स्वामित्व सिद्ध करने के लिये विन्यास मानचित्र का उपयोग किसी भी न्यायालय में वैध नहीं समझा जायेगा अर्थात् मानचित्र की स्वीकृति संस्था के स्वामित्व का प्रमाण नहीं है।

6- सड़क, सरकारी भूमि अथवा सर्विस लेन पर किसी प्रकार की कोई निर्माण सामग्री एकत्रित नहीं की जायेगी।

7- उ0प्र0राज्य वन नीति 1998 के अनुसार, प्रस्तावित कालोनी में न्यूनतम 125 वृक्ष लगवाना अनिवार्य होगा।

निरन्तर.....(2)

8- विकास एवं निर्माण कार्य के दौरान, विन्यास मानचित्र स्वीकृति से सम्बन्धित विवरण की पट्टिका स्थल के बाहर स्थापित कराना अनिवार्य होगा एवं स्थल पर स्वीकृत विन्यास मानचित्र की एक प्रति भी अनिवार्य रूप से रखना होगा ताकि मौके पर किसी भी अधिकारी द्वारा जाँच की जा सके।

9- समस्त निर्माण एवं विकास कार्य लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों के अनुरूप सम्यक रूप से अर्हता प्राप्त वास्तुविद/अभियन्ता के तकनीकी पर्यवेक्षण में भूकम्प रोधी मानक एवं अनुदेशों के अनुसार कराना होगा। निर्माण एवं विकास कार्य के दौरान, कोई अप्रिय घटना घटित होने की स्थिति में, इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आवेदक का होगा। विकास कार्यों के स्थायित्व की जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।

10- प्रस्तावित विन्यास मानचित्र को आपके अनुबन्ध पत्र एवं बन्धपत्र में उल्लिखित विवरण के आधार पर प्रारम्भिक स्वीकृति प्रदान की जा रही है।

11- प्रस्तावित उपविभाजन मानचित्र में प्रदर्शित सार्वजनिक उपयोग की व्यवस्था यथा- पार्क, सड़क व नाली आदि के स्थल पर स्वामित्व सौंपने हेतु सक्षम अभिकरण को नियमानुसार हस्तान्तरण की कार्यवाही की जायेगी तथा विकास के लिये निर्धारित शुल्क भी अदा करना होगा। अनुबन्ध पत्र एवं बन्ध पत्र के विपरीत कृत्य की स्थिति में स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

12- भूखण्डों का विक्रय स्वीकृत विन्यास मानचित्र के अनुसार ही किया जायेगा। विक्रीत भूखण्डों पर भवन निर्माण प्रारम्भ कराने से पूर्व प्रथक-प्रथक भवनों के मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा। विषयगत भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी विषय का पूर्ण उत्तरदायित्व आवेदक का होगा। स्वामित्व सम्बन्धी विवाद होने की दशा में, स्वीकृत मानचित्र सक्षम न्यायालय के निर्णय के अधीन रहेगा।

13- प्रस्तावित योजना में आन्तरिक विकास कार्यों को कराने की प्रतिभूति स्वरूप राज्य सरकार/विभाग के पक्ष में बन्धक रखे गये भूखण्ड क्रमशः भूखण्ड संख्या-ए0बी0-09 (134.12 वर्गमीटर), भूखण्ड सं0 ए0बी0-12 (160.05 वर्गमीटर), भूखण्ड सं0 ए0बी0-13 (171.60 वर्गमीटर), भूखण्ड सं0 ए0 बी0-16 (131.80 वर्गमीटर), भूखण्ड सं0 ए0बी0-32 (134.99 वर्गमीटर) एवं भूखण्ड सं0 ए0बी0-33 (143.01 वर्गमीटर) जिनका कुल क्षेत्रफल 875.57 वर्गमीटर है, का विक्रय सक्षम प्राधिकारी के स्तर से भूखण्डों के बन्धनमुक्त हो जाने के उपरान्त ही अनुमन्य होगा।

14- प्रस्तुत विन्यास मानचित्र में प्राविधानित पहुँच मार्ग केवल मानचित्र में दर्शित भूखण्डों के लिये ही मान्य होगा एवं इस विन्यास मानचित्र का भाग होगा।

15- प्रस्तावित कालोनी में रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

संलग्नक-स्वीकृत विन्यास मानचित्र।

दिनांक- 11/5/2023-24

नगर मजिस्ट्रेट,
नियंत्रण प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र
नियंत्रण प्राधिकारी शाहजहापुर
शाहजहापुर